न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 75/2019

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अर्शदीप सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. रविन्द्र कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

.........वादीगण

बनाम

1. जसवन्त सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादी–1,2)
अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवदी–1)
पैरोकार राज.	(प्रतिवदी–2)
अधिवक्ता श्री मनीष कुमार भारद्वाज	(प्रतिवदी–3)

दिनांक : 19 जुलाई, 2019

–::: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 16 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/41 मुरब्बा नम्बर 5 की 1.898 है0 नहरी कृशि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/30 का मुरब्बा नम्बर 15 की 0.841 है0 नहरी मय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खाला भूमि, इसी चक के खाता संख्या 51/44 का मुरब्बा नम्बर 5 की 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि तथा खाता संख्या 69/75 का मुरब्बा नम्बर 5 की 1.732 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 5.736 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा विरासत में प्राप्त पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद है। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा वादीगण के साथ किया हुआ है तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी संख्या 1 व 2 को 1/3—1/3 हिस्सा भूमि बहिस्सा बराबर बंटवारा में दी हुई है। जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहें है तथा मौका पर का त कर रहें हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें, इस वि वास पर वादीगण ने उक्त रकबा में से अपने हिस्सा में आए रकबा में बड़ी मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाया है। उक्त रकबा वादीगण के नाम से दर्ज ना होने के कारण वादीगण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहें हैं, इसलिए कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह घरू बंटवारानुसार वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 05.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को हक व न्याय नही देना चाहता है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादीगण अपने अधिकारों की घोशणा करवाना चाहते है। इसलिए यह दावा लाना आव यक हो गया है। यही वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर होने के कारण आव यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है।-प्रतिवादी संख्या 3 के पास रकबा रहन होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया –

(1) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 16 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/41 मुरब्बा नम्बर 5 की 1.898

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

है0 नहरी कृशि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/30 का मुरब्बा नम्बर 15 की 0.841 है0 नहरी मय खाला भूमि, इसी चक के खाता संख्या 51/44 का मुरब्बा नम्बर 5 की 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि तथा खाता संख्या 69/75 का मुरब्बा नम्बर 5 की 1.732 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 5.736 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर को खातेदार घोशित किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 12.07.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैंः—

1. **वादी अर्शदीप सिंह को**— चक 16 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51 मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 2, 3, 4(प्रत्येक 0.253 है0) = 0.759 है0, खाता संख्या 31 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 7(0.126 है0 किला नम्बर 4 के साथ चिपता हुआ), 8(.253 है0), 13/1(0.127 है0) =0.379 है0 व खाता संख्या 69 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 13/2(0.126 है0), 18(0.253 है0) = 0.379 है0 कुल 1.644 हैक्टेयर कृषि भूमि का,
2. **वादी रविन्द्र कौर को** — चक 16 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51 मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 5(0.253 है0) = 0.253 है0, खाता संख्या 31 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 6(.253 है0), 7(0.127 है0 किला नम्बर 14 के साथ चिपता हुआ) = 0.380 है0 व खाता संख्या 69 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 14 ता 17(प्रत्येक 0.253 है0)=1.012 है0 कुल 1.645 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोशित किया जावे।

वादगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

द्वारा दिनांक 12.07.2019 को स्टेट जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार राज्यहित को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे तो उचित है ।

वादीगण एवं प्रतिवादीगणं को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया ।

।। आदेश ।।

पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

1. **वादी अर्शदीप सिंह को–** चक 16 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51 मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 2, 3, 4(प्रत्येक 0.253 है0) = 0.759 है0, खाता संख्या 31 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 7(0.126 है0 किला नम्बर 4 के साथ चिपता हुआ), 8(.253 है0), 13/1(0.127 है0) =0.379 है0 व खाता संख्या 69 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 13/2(0.126 है0), 18(0.253 है0) = 0.379 है0 कुल 1.644 हैक्टेयर कृषि भूमि का एंव

2. **वादी रविन्द्र कौर को** – चक 16 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51 मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 5(0.253 है0) =0.253 है0, खाता संख्या 31 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 6(.253 है0), 7(0.127 है0 किला नम्बर 14 के साथ चिपता हुआ) =0.380 है0 व खाता संख्या 69 का मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 14 ता 17(प्रत्येक 0.253 है0)=1.012 है0 कुल 1.645 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

49

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *